

भारत सरकार  
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

वेज़ नम्बर 24-25  
दक्षिण मार्ग, सेक्टर 31-ए  
चंडीगढ़-160030

फाइल नम्बर: 9-PBB595/2014-CHA

दिनांक: मंगलवार, 14 जुलाई 2015

सेवा में,

नोडल ऑफिसर,  
एफ० सी० ए० & सी० सी० एफ० (एफ सी)  
पंजाब सरकार, वन कॉम्प्लैक्स, सेक्टर 68,  
एस० ए० एस० नगर (मोहाली), पंजाब

**विषय: Diversion of 0.9068 hectares of forest land in favour of Central Works Division, PWD B&R, Jalandhar for Widening and Strengthening of Nakodar Bye Pass road section from KM 23.134 to 25.765 from 5.50 to 7 M including widening of Culvert/Minor Bridge under Forest Division and District Jalandhar, Punjab**

सन्दर्भ: आपके कार्यालय के पत्र संख्या FCA/1980/259/2014/3687 दिनांक 06.07.2015.


महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.9068 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है।

2. प्रस्ताव से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करें।

- i. प्रयोक्ता एजेंसी पौधों के प्रत्यारोपण के लिए सहमत नहीं है इसलिए प्रयोक्ता एजेंसी के खर्च पर इस प्रस्ताव में बाधक 180 पौधों के दस गुणा अर्थात् 1800 पौधों को लगाने की प्रति पूर्ति पौधा रोपण स्कीम 7-10 वर्षों के लिए बनाकर भेजें।
  - ii. प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण को भेजे गए प्रोफोर्मा के अनुसार धनराशि की पुष्टि नहीं हुई है। विशेष कार्य अधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि प्रोफोर्मा के कॉलम न० 9 व 10 में RTGS (UTR) न० व बैंक का नाम (कारपोरेशन बैंक या यूनियन बैंक) भरकर भेजें और इस कार्यालय को सूचित करें।
3. उपरोक्त जानकारी, इस पत्र के जारी होने के पश्चात् 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें। जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय,

  
(एस० डी० शर्मा)

वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल और जिला जालन्धर, पंजाब।
2. कार्यकारी अभियन्ता, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग पी० डब्ल्यू० डी० (बी०&आर०) जालन्धर, पंजाब।